पत्र सं॰ 948-अनु॰त॰प॰ का॰। पटना-15, 16 जुलाई, 1986।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

गोपनीय कोषांग

संकल्प

16 जुलाई, 1986

विषय : विभिन्न स्कीमों के मूल प्राक्कलनों के पुनरीक्षण को नियंत्रित करने के संबंध में।

1. राज्य के बहुमुखी विकास के लिये विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं यथा सिंचाई, पथ, भवन विद्युतीकरण, जलापूर्ति आदि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी एवं उन्हें कार्यान्वित की गई एवं की जा रही है। इन सभी विकास परियोजनाओं का कार्यान्वियन कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय-सीमा एवं स्वीकृत अनुमानित लागत पर करना था। परन्तु यह पाया जाता रहा है कि अधिकांश योजनायें निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूरी नहीं हो पाती हैं और उनकी पूर्व स्वीकृत अनुमानित लागत में भी काफी वृद्धि हो जाती है जिसके कारण मंत्रिमंडल के स्वीकृतार्थ पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत होते रहते हैं। समय सीमा के अन्दर योजनाओं के पूरा नहीं होने के कारण उनसे मिलने वाले लाभ विलम्ब के कारण जहां एक तरफ जनता में असंतोष फैलने के साथ-साथ सरकार की कड़ी आलोचना होती है वहीं दूसरी तरफ योजनाओं के लागतव्यय में वृद्धि होने के फलस्वरुप राज्य के अन्य विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति से चिन्तित होकर सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्ब एवं उसके मूल प्राक्कलनों के पुनरीक्षण के कारणों की जांच कर उसकी यथासाध्य रोकथाम हेतु अनुशंसा समर्पित करने के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या-1214, दिनांक 29 जून, 1984 द्वारा एक दो सदस्यी समिति गठित की थी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सम्बद्ध विभाग के सचिव एवं तकनीकी परीक्षण कोषांग मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के अभियंता प्रमुख इस समिति के सदस्य मनोनीत किये गये थे।

1.1 परियोजनाओं के खर्च में अत्यधिक वृद्धि तथा उसके कारण उनके प्राक्कलन में एक या एक से अधिक पुनरीक्षण मात्र मूल्य वृद्धि के कारण नहीं होता है जैसा कि आम तौर पर पुनरीक्षित प्राक्कलन के जस्टिफिकेशन में कहा जाता है। बहुतेरी परियोजनाओं के केस स्टडी से पता चला है कि इसके और अन्य कारण हैं, जिनके चलते न केवल निर्माणावधि में कार्य मदों की मात्रा में वृद्धि होती है बल्कि उनके द्वारा विशिष्ट रेखांकन और रूपांकण आदि में जीवनं परिवहन की आवश्यकता के कारण निर्माण कार्य में अवरोध होता है और विलम्ब से कार्यान्वियन होने के कारण अन्य बढ़ोत्तरी के साथ-साथ मूल्य वृद्धि का तीव्रतर प्रकोप लागत क्रय पर पड़ता है। इन कारणों का उल्लेख संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है–

(i) मुद्रास्फीति के कारण अनुमानित व्यय में वृद्धि-

(क) निर्माण सामग्रियों, यंत्र-तंत्र एवं श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि;

(ख) दीर्घकालीन परियोजनाओं में कोस्ट एस्कैलेशन का प्रावधान नहीं रहने के कारण एक से अधिक पुनरीक्षित प्राक्कलन की आवश्यकता तथा उसकी स्वीकृति में विलम्ब के कारण कार्य में अवरोध और उसके कारण निर्माणावधि में विस्तार खर्च में बढ़ोतरी;

(ग) सामान्यत: ठीकेदारी के एकरारनामें में प्राइस एस्केलेशन का उपबन्ध नहीं रहने के कारण, कार्यान्वियन में झंझट और ठिकेदारों का काम छोड़कर भाग जाना, आदि।

(ii) मूल प्राक्कलन में कमियाँ एवं खामियाँ-

(क) परियोजनाओं को तैयार करने के पहले आवश्यक सर्वेक्षण, अन्वेषण, आयोजन आदि का यथेष्ट न होना;

(ख) मूल प्राक्कलन में अपर्याप्त प्रावधान;

(ग) यथेष्ट सर्वेक्षण अनुसंधान की कमी के कारण निर्माणावधि से परिवर्तन-परिवर्द्धन की आवश्यकता;

(घ) परियोजना की निर्माणावधि में आयोजन की त्रुटि के कारण निर्धारित दायरे में वृद्धि;

(ङ) अपूर्ण अनुसंधान के कारण रूपांकण में विलंब तथा परिवर्तन-परिवर्द्धन।

(iii) परियोजनाओं की स्वीकृति में विलंब-

(क) परियोजनाओं का सेल्फ ऑफ स्कीम्स न होना तथा स्वीकृति के लिये चयन करने की प्रक्रिया में खामियां;

(ख) स्वीकृति की मौजूदा प्रक्रिया जिसके तहत पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना में शामिल परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये भी योजना विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति का अनिवार्य होना तथा उसमें अधिक समय लगना;

(ग) स्वीकृति देते समय परियोजना प्राक्कलनों को अद्यतन अनुसूचित दर पर तैयार नहीं करना;

(घ) प्रावैधिक स्वीकृति में विलंब तथा विशिष्ट रूपांकण में अपरिहार्य परिवर्तन;

(च) पुनरीक्षित प्राक्कलन को समय-समय पर तथा आवश्यक विवरण के साथ न तैयार करना तथा उनकी स्वीकृति में अधिक विलंब होना;

(छ) स्वीकृत करते समय मानक प्रक्रिया से निर्माण अनुसूचित (भौतिक एवं वित्तीय) नहीं तैयार करना तथा जहाँ तैयार भी किये गये हैं, वहां परफॉरमैन्स बजटिंग के सिद्धांत को नजर-अंदाज कर आवश्यकतानुसार कार्यक्रम और आवंटन की प्रक्रिया नहीं सुनिश्चित करना।

(iv) कार्यान्वयन में मोनिटरिंग व्यवस्था की प्रभावहीनता–

(क) विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम का सुनिश्चित न होना;

(ख) परियोजनाओं की प्रगति का विभिन्न स्तरों पर प्रभावकारी ढंग से मोनिटरिंग नहीं किया जाना;

(ग) मोनिटरिंग संगठन को परियोजना के लिये दिये जाने वाले आवंटन एवं कार्यक्रम निर्धारण में सक्रिय सहयोग नहीं प्राप्त करना;

(घ) दुलर्भ निर्माण सामग्रियों के प्रोक्योर्मेंट के लिये अग्रिम आयोजन की व्यवस्था में कमजोरी।

(v) मौजूदा इन्स्टिच्यूशनल तथा ऑरगनाइजेशनल सेट अप की प्रबन्ध व्यवस्था में कमी-

(क) परियोजनाओं की स्वीकृति के समय उपलब्ध साधन या उपलब्ध होने वाले साधनों को नजरअंदाज कर अत्यधिक परियोजनाओं की स्वीकृति देना;

(ख) वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध राशि सुनिश्चित नहीं करना तथा वर्ष में कई बार आवंटन में परिवर्तन/परिवर्द्धन करना;

(ग) योजना मद से गैर-योजना मद में धनराशि का हस्तांतरण;

(घ) भू-अर्जन की व्यवस्था में कमजोरी तथा कार्य के प्रभारी अभियंताओं का उसमें असहाय होना;

(ङ) निर्माण के प्रभारी अभियन्ताओं के वर्तमान प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति में कमी तथा हस्तक्षेप;

(च) परियोजना प्राक्कलनों को स्वीकृति की प्रक्रिया में अनगिनत स्तरों से गुजरना;

(छ) कार्यान्वियन में विलम्ब एवं प्राक्कलन में वृद्धि के लिये विभिन्न स्तरों के अधिकारियों का एकाउन्टेविलिटी सुनिश्चित नहीं होना;

(ज) उपयुक्तता को आधार न मानकर कार्य-अकार्य के आधार पर अभियन्ताओं का पदस्थापन एवं स्थानान्तरण।

(vi) वर्तमान वित्तीय नियमों/प्रचलनों के चलते लागत खर्च की वृद्धि पर यथेष्ट नियंत्रण की कमी-

(क) छोटे-मोटे सभी कार्यो के लिए निर्माणावधि को ध्यान में रखे बिना एक जैसा नियम का अनुपालन;

ख) तकनीकी एवं वित्तीय अंकेक्षण की व्यवस्था में कमजोरी;

(ग) विधि व्यवस्था में गिरावट के कारण निविदाओं के समुचित सम्पादन में कठिनाई तथा कार्य मदों की मात्रा एवं विशिष्टता पर उपर्युक्त नियंत्रण में बाधाएं;

(घ) निर्माण निगमों द्वारा एवं विभागीय स्तर पर बड़े-बड़े कार्यो के नही कराने की प्रवृत्ति के चलते बड़े ठीकेदारों द्वारा अधिक दर की मांग।

(vii) विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन में संहिताओं के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर निर्गत नियमों/आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन नहीं करना/नहीं कराया जाना-

(क) कार्यपालक अभियन्ताओं/सहायक अभियंताओं द्वारा समय पर तथा वांछित रूप से मापी का चेकिंग नहीं करना;

(ख) कीप-बैक की प्रथा अनेक अभियंताओं द्वारा जारी रखना;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित प्राक्कलन का नहीं तैयार किया जाना, बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किये या उसकी स्वीकृति प्राप्त किये ही कार्य कराते जाना;

(घ) बिना प्रावैधिक स्वीकृति के निविदा निष्पादन करना तथा कार्य कराना;

(ङ) वृहत् परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रशासकीय अनुमोदन में दिये गये प्रावधानों को बिना ध्यान में रखे तकनीकी स्वीकृति देना, निविदा निष्पादन करना तथा खर्च पर नियंत्रण नहीं रखना;

(च) मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण अभियंताओं द्वारा परियोजना के प्रबंध व्यवस्था में प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा पाना।

1.2 अतः परियोजनाओं के लागत व्यय में वृद्धि के लिये ऊपर अंकित आइडेन्टिफाइड कारणों के परिप्रेक्ष्य में परियोजना के खर्च पर नियंत्रण का उद्देश्य तभी सिद्ध हो सकता है जब इन सभी कारणों के यथासाध्य निराकरण हेतु ठोस कार्रवाई की जाय। इसी ध्येय से समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं पर राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं, जो राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों एवं अन्य विभागों/निगमों/पर्षदों/बोर्डो के अन्तर्गत अभियंत्रण/विकास कार्यों की योजनाओं/परियोजनाओं पर समान रूप से तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

2. मुद्रास्फीति के कारण परियोजनाओं के खर्च पर नियंत्रण-

2.1. छोटे-मोटे एवं मध्यम कोटि की परियोजनाओं, जिनके कार्यान्वयन में सामान्यतः एक वर्ष समय लगता है, उसके मुद्रास्फीति, यानि निर्माण सामग्रियों के मूल्यों में बढ़ोतरी एवं श्रम दर में वृद्धि के कारण कोई पुनरीक्षण अनुमान्य नहीं होगा। अतः प्राक्कलन की स्वीकृति में विलम्ब हो तो स्वीकृति प्रदान करते समय उनकी पूर्व प्राक्कलित राशि को अद्यतन कर ली जाय। इसी प्रकार दो वर्ष में भी कार्यान्वियत की जाने वाली परियोजनाओं के पुनरीक्षण अनुमान्य नहीं होंगे क्योंकि मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति राशि पर 10 प्रतिशत (आवासीय भवनों के लिये) और 15 प्रतिशत (गैर-आवासीय भवनों एवं अन्य कार्यों के लिये) तक बढ़ोतरी बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत कराये अनुमान्य होता है।

2.2. ऐसे मध्यम कोटि की परियोजनायें, जिनके प्राक्कलन की स्वीकृति तथा कार्यारम्भ के पहले एक वर्ष समय लगता है और उसके बाद दो वर्ष में पूरी कर ली जाती है तो मौजूदा वित्तीय नियमों के अनुसार उनमें पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है। पर उन दो वर्षो में पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की लागत में मुद्रास्फीति के कारण संभावित वृद्धि को मात्र 15 प्रतिशत के अन्दर नियंत्रित की जा सकती है, यदि प्राक्कल्न की स्वीकृति एवं कार्यारम्भ में कोई विलम्ब न हो या प्राक्कलन का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के समय चालू अनुसूचित दर पर प्राक्कलन को अद्यतन कर लिया जाय।

2.3. तीन वर्ष में पूरा होने वाली परियोजनाओं के प्राक्कलन पर मुद्रास्फीति के कारण होने वाली वृद्धि को 20 प्रतिशत के अन्दर नियंत्रित की जा सकती है यदि उनके लागत व्यय के अधिकांश भाग प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में आवंटित कर खर्च किया जाय एवं प्राक्कलन की स्वीकृति तथा कार्यारम्भ में कोई विलम्ब न हो। ऐसी परियोजनायें, जिनकी निर्माणावधि तीन वर्ष निश्चित की जाती है, को पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन तब तक आवश्यक होगा जब तक उनके लागत व्यय में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना नहीं हो। लेकिन साथ-ही-साथ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा कि तीन वर्ष की निर्माणावधि उन्हीं परियोजनाओं के लिये अनुमान्य होगी जिनका मूल प्राक्कलन एक करोड़ रूपये से कम न हो।

2.4. कार्यान्वयन में तीन वर्ष से अधिक समय लगने वाली वृहत् परियोजनाओं के प्राक्कलन में मौजूदा नियमों के अनुसार पुनरीक्षण की आवश्यकताओं को दूर नहीं की जा सकती है, क्योंकि मात्र मुद्रास्फीति के कारण ही 15 प्रतिशत से

अधिक की वृद्धि संभावित रहती है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी द्वारा यह अनुशंसा का प्रावधान किया जाय और उपयोग करते समय परियोजना के प्राक्कलन में से भू-अर्जन की राशि काट दी जाय तथा एडजस्टमेन्ट फैक्टर में भी वृहत् सिंचाई परियोजनाओं के मूल प्राक्कलन में 15 प्रतिशत की दर से एडजस्टमेंट फैक्टर के 50 प्रतिशत ही पूरे कार्यान्वयन अवधि के लिये उपबन्धित किया जाय। सप्तम पंचवर्षीय योजनाओं के तहत वृहत् एवं मध्यम् सिंचाई परियोजनाओं की रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिये गठित समिति भी उक्त आशय की अनुशंसा पर बल दिया है। यह सुझाव दिया गया है कि सभी परियोजनाओं के प्राक्कलन को प्रतिवर्ष अद्यतन बनाया जाय तथा अवशेष कार्यो की प्राक्कलित राशि पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि दर्शायी जाय। विश्व बैंक द्वारा एडजस्टमेंट फैक्टर या कॉस्ट स्कैलेशन का प्रावधान स्पष्ट रूप से किया जाता है, ऐसी परिस्थिति में सरकार की वृहत् परियोजनाएँ जिनके कार्यान्वयन की अवधि तीन वर्ष से अधिक होती है, के प्राक्कलन में एडजस्टमेंट फैक्टर का प्रावधान प्राधिकृत करने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है एवं इस संबंध में कंडिका 8-1-6 में दिये गये निर्देश के अनुरूप कार्रवाई की जाय।

2.5. राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण का प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार के परिवहन मंत्रालय से स्वीकृत होता है और खर्च के लिए वार्षिक आवंटन का संचालन भी सीधे परिवहन मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। उनकी प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना के लिए एक साथ ही कई प्राक्कलन स्वीकृत नहीं होता है, बल्कि अलग-अलग तौर से अलग-अलग जाँच के लिए छोटे-मोटे प्राक्कलन अलग-अलग समय पर स्वीकृत होते है तथा उनके लिए एक्सपेंडीचर सैक्शन किया जाता है। इस प्रक्रिया का लाभ यह है कि विस्तृत रूप से तैयार किये गये प्राक्कलन की जांच-परख कर और वित्तीय साधन को ध्यान में रखते हुए किसी जांच की स्वीकृति दी जाती है। और ये अपेक्षा की जाती है कि अनुमोदित कार्य सीमित अवधि में करा लिये जायेंगे जिससे उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता न हो। दुर्भाग्यवश बहुत सी राष्ट्रीय उच्च पथ योजनायें, जिसमे उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई गई, का अनुभव अपेक्षा से बहुत विपरीत पाया गया। एक ही परियोजना के लिये अब अलग-अलग समय पर छोटे-छोटे खंड कर जाँच स्वीकृत किये जायें तो उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये एवं अनुमान्य नहीं होंगे तब तक कि उसमें कोई ऐसे वृहत् पूल या संरचना का निर्माण नहीं हो जिसके लिये तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि तकनीकी दृष्टिकोण से उचित ठहराई जाती है।

3. आयोजन, अनुसंधान, प्रोजेक्ट प्रिपेरेशन के कारण प्राक्कलनों में मूलभूत कमियों/खामियों का निराकरण।

3.1 अभियंत्रण एवं विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के स्वीकृत्यार्थ तभी प्रस्तुत किये जायें जब उनके प्राक्कलन यथेष्ट एवं आवश्यक आयोजन अनुसंधान, रूपांकन आदि के आधार पर तैयार किये गये हों ताकि इनके अभाव के कारण भी परियोजना प्राक्कलन में किसी प्रकार की कमियाँ, खामियाँ नहीं रहे एवं इसके फलस्वरूप उसके लागत में वृद्धि की संभावना न्यूनतम रह सके।

केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा गठित एक्सपर्ट कमिटी (1972) ने परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं आयोजन, संभाव्यता प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन से संबद्ध समस्या की गहराई से जांच कर महत्वपूर्ण अनुशंसाएं दी थी। ये अनुशंसायें, जो परिशिष्ट-1 में उल्लिखित है, राज्य सरकार द्वारा मान ली गयी है एवं सिंचाई विभाग द्वारा उनके अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रभावकारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

3.2 सभी कार्य विभागों में अग्रिम आयोजन एवं अनुसंधान संगठन, गठित किया जाय जो एक अभियन्ता प्रमुख के अधीन हो। इन्हीं के अधीन रूपांकन संगठन, गुण नियंत्रण संगठन, मोनिटरिंग संगठन और कॉस्ट एवं इन्भेन्ट्री संगठन को रखा जाय ताकि परियोजनाओं पर फोरमूलेशन से लेकर समापन तक इस संगठन द्वारा समेकित रूप से नजर रखी जा सके। मूल तथा पुनरीक्षित प्राक्कलनों की स्वीकृति संबंधी प्रक्रियात्मक कार्रवाई भी इसी संगठन द्वारा की जाय ताकि निर्माण के प्रभारी का यह कथन कि अपर्याप्त अनुसंधान के कारण ही मूल प्राक्कलन में व्यापक रूप से बढ़ोतरी हुई है, सम्यक रूप से जांच कर उसका उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके।

आयोजन, अनुसंधान सर्वेक्षण, रूपांकण, मोनिटरिंग और गुण नियंत्रण संगठनों में पदस्थापित अभियंताओं को पर्याप्त विशेष वेतन के साथ-साथ आवास, वाहन, कार्यालय के भवन और कर्मचारी आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय।

उपरोक्त संगठनों में योग्य तथा मेधावी अभियंताओं को पदस्थापित किया जाय और इन्हें अपना ज्ञान तथा क्षमता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। देश और विदेश में प्रशिक्षण की सुविधा उन्हें ही प्राथमिकता के आधार पर दी जाय जिन्होंने संगठनों में अच्छा काम किया है।

जिन पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप हों या जिन्हें अभियंत्रण कार्य के सम्पादन में अक्षम पाया गया हो उन्हें ऐसे संगठनों में पदस्थापित कर संगठन की मर्यादा न घटायी जाय।

3.3 सभी कार्य विभागों में एक अवर समिति गठित की जाय जो अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास के लिये आयोजन की रूपरेखा सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगी। अग्रिम आयोजन के अभियंता-प्रमुख अवर समिति का पदेन सदस्य-सचिव होंगे और समिति में मल्टिडिसिप्लिनरी क्षेत्रों के कुछ जाने-माने एक्सपर्ट को रखा जाय। संभाव्यता प्रतिवेदन (फिज़िबिलिटी) तैयार करने के उपरान्त उस पर प्रवर समिति का अनुमोदन प्राप्त कर ही विस्तृत सर्वेक्षण अनुसंधान पर परियोजना की रिपोर्ट एवं प्राक्कलन तैयार किया जाय और यह प्रयास किया जाय कि सभी विभागों में जो सेल्फ ऑफ स्कीम्स हो उसमें यथेष्ट सर्वेक्षण/अनुसंधान पर आधारित पर्याप्त परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलन हर समय उपलब्ध रहे।

3.4 वृहत् एवं विशेष रूप से आवश्यक पायी गयी परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सामान्य रूप की परियोजनाओं के सर्वेक्षण/अनुसंधान एवं आयोजन हेतु स्थायी रूप से क्षेत्रीय ईकाइयाँ स्थापित की जाय ताकि सभी क्षेत्रों के लिये पर्सपेक्टिव प्लान तैयार हो और जब तक साधन उपलब्ध हो, उनका कार्यान्वयन ठोस परियोजना प्रतिवेदन और प्राक्कलन के आधार पर किया जा सके।

3.5 जिन-जिन परियोजनाओं या उनके उप शीर्षों के मदों की स्वीकृति विस्तृत अनुसंधान के आधार पर दी जाती है, उनमें अनुसंधान की कमी के कारण 5.00 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी सामान्य रूप से मान्य नहीं होगी और हर हालत से कार्यान्वयन के प्रभारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वे निर्माण कार्य हाथ में लेने के पूर्व ही स्वीकृत प्राक्कलन के प्रावधानों की स्थल की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में जांच-परख कर लें और यदि उन्हें विशेष अंतर नजर आये तो उस पर वे सर्वप्रथम अनुसंधान के प्रभारी कार्यपालक अभियंता और अधीक्षण अभियंता का मन्तव्य प्राप्त करें; फिर भी यदि उनका अनुमान होता है कि प्राक्कलन का प्रावधान पर्याप्त नहीं है तो पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करें और पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर ही कार्य आरम्भ करें।

4. परियोजना की स्वीकृति एवं विलम्ब का यथासाध्य निराकरण।

4.1 सभी विभागों में यथेष्ट सर्वेक्षण एवं अनुसंधान पर आधारित विस्तृत रूप से तैयार की गयी परियोजनाओं के प्राक्कलन सहित सेल्फ ग्राफ स्कीम्स तैयार रखे जायें और अनुमोदन के लिये उनमें से परियोजनाओं का चयन करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता एवं उपलब्ध साधन को ध्यान में रखा जाय। विशेष रूप से नई परियोजनाओं के अनुमोदन पर नियंत्रण रखा जाये ताकि उपलब्ध साधन को हाथ में ली गयी परियोजनाओं को पूरा करने में सदुपयोग किया जा सके।

परियोजनाओं की जाँच परख पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजना में शामिल करने के पूर्व ही संबंधित विभाग की राय लेकर कर ली जाय ताकि जब एक बार कोई परियोजना, वार्षिक योजना में शामिल कर ली जाती है तो फिर उसके अनुमोदन के लिये वित्त विभाग एवं योजना विभाग की सहमति की प्रक्रिया के समय व्यतीत न हो।

4.2 छोटी-छोटी एवं मध्यम कोटि की परियोजनाओं का प्रशासकीय अनुमोदन तकनीकी स्वीकृति के बाद दी जाय और स्वीकृति देते समय परियोजना प्राक्कलन को अद्यतन अनुसूचित दर पर तैयार करा लिया जाय।

4.3 पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति में कम-से-कम समय लगाया जाय और प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा सुदृढ़ हो कि बाद में औपचारिकता निभाने के कारण या राशि के आवंटन के अभाव में कार्य की प्रगति अवरूद्ध न हो।

4.4 प्रशासकीय स्वीकृति के समय मानक प्रक्रिया अपनाते हुए कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाय और कार्यान्वयन अवधि में यथासम्भव उसमें परिवर्तन न किया जाय। साथ ही साथ आवंटन की प्रक्रिया सरल की जाय जिसमें कार्य के प्रभारी अधिकारी को यथाससमय उपलब्ध होने वाली राशि की सूचना मिल सके और वे अपना कार्यक्रम सुनिश्चित कर सकें।

4.5 जिन परियोजनाओं में भू-अर्जन की आवश्यकता हो, उनपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय क्योंकि प्रक्रिया के विलम्ब होने के कारण ऐसी परियोजनाएँ अधिक दिन तक लंबित रह जाती है। इन परियोजनाओं के लिये प्रथम चरण में भू-अर्जन का ही प्राक्कलन स्वीकृत कर भू-अर्जन कराया जाय और उसके बाद कार्य का प्राक्कलन स्वीकृत कर कार्यारम्भ कराया जाय।

5. कार्यान्वयन में मोनिटरिंग की व्यवस्था सुदृढ़ करना।

51. इसे विभाग में मात्र मुख्यालय में ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर भी की जाय जिससे फीड बैक की प्रक्रिया कायम हो सके और समय-समय पर पायी गयी अवरोध शिथिलताओं के निराकरण में सहूलियत हो सके।

5.3 मोनिटरिंग संगठन का सक्रिय सहयोग परियोजनाओं को दिये जानेवाले आवंटन एवं कार्यक्रम निर्धारण में लिया जाय।

5.4 दुलर्भ निर्माण सामग्रियों के प्रोक्योमेंट के लिये अग्रिम आयोजन की व्यवस्था हो। परियोजना के कार्यान्वयन अवधि में उसका मोनिटरिंग प्रभावकारी ढंग से किया जाय।

5.5 कार्य विभाग, जैसे सिंचाई विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण, लघु सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का मोनिटरिंग संगठन मुख्य अभियंता के स्तर के पदाधिकारी के अधीन रखा जाय और उस संगठन में कम-से-कम इतने अधीक्षण अभियंता रखे जायें जितने मुख्य अभियंता संबंधित अभियंता प्रमुख के साथ क्षेत्र में कार्यरत हैं।

6. इंस्टिच्यूशन एवं ऑग्नाईजेशन सेट-अप प्रबन्धन व्यवस्था को सुदृढ़ करना-

6.1 प्रत्येक विभाग में परियोजनाओं के अनुमोदन के पूर्व टेक्नोइकोनोमिक एप्रेजल के लिए एक मल्टीडिसिप्लनरी प्रवर कोटि समिति गठित की जाय तो अनुमानित उपलब्ध साधन को ध्यान में रखते हुए तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने उद्देश्य से प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाओं का चयन करें।

6.2 परियोजना प्राक्कलन की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से ताकि उसे बार-बार योजना विभाग एवं वित्त विभाग से गुजरना न पड़े, विशेषाधिकार प्राप्त अधिकृत समिति द्वारा उसकी जांच की जायेगी। प्रत्येक विभाग की परियोजनाओं के लिये यह समिति महीने में कम-से-कम एक बार निश्चित रूप से बैठेगी और सभी आवश्यक मामलों पर अन्तिम निर्णय ले लेगी।

6.3 भू-अर्जन में हो रही विलम्ब से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु प्रत्येक कार्य विभाग में एक भू-अर्जन निदेशालय गठित किया जाय और उन्हें वे सब शक्तियां प्रदत्त की जाय जो राजस्व विभाग के प्रभारी भू-अर्जन निदेशक को प्रदत्त है। साथ-ही-साथ वन क्षेत्र में भू-अर्जन की समस्या के निराकरण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय जो केन्द्र सरकार से समय-समय पर विचार विनिमय कर भू-अर्जन की कठिनाई को दूर करा सकें।

6.4 कार्य विभागों के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, वित्त विभाग, योजना, वन विभाग में आवश्यक प्रस्ताव भेजने के लिये सक्षम होंगे।

6.5 क्षेत्रीय पदाधिकारियों के प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाय और उन्हें संहिताओं के द्वारा प्रदत्त शक्ति के उपयोग करने में कोई अड़चन नहीं हो।

6.6 अभियंत्रण कार्यो के खर्च में वृद्धि के लिये सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक के अधिकारियों का एकाउन्टेबिलिटी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाय ताकि भविष्य में सचिवालय में किये गये विलम्ब के लिये भी दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कारवाई हो सके।

6.7 मौजूदा कार्य-अकार्य को आधार बनाकर अभियंताओं के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण की पद्धति में सुधार लाया जाय जिससे उपयुक्त स्थान पर उपयुक्त योग्यता एवं अभिरूचि रखने वाले पदाधिकारी का पदस्थापन हो सके और परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके।

6.8 कार्य विभागों के अलावे अन्य विभागों में जो अभियंत्रण कोषांग है, उनका पुनर्गठन किया जाय और उन्हें मात्र आयोजन, प्राक्कलनों की स्वीकृति हेतु उसका प्रोसेसिंग, मोनिटरिंग तथा मूल्यांकन के लिये उत्तरदायी बनाया जाय। क्षेत्रीय कार्य का भार संबंधित कार्य विभागों को सौंपा जाय।

6.9 सचिवालय में प्राक्कलनों की स्वीकृति की प्रक्रिया में सुधार लायी जाय ताकि अधिक-से-अधिक तीन माह में अन्तिम निर्णय लिया जा सके। प्रशासकीय अनुमोदन के साथ भौतिक एवं वित्तीय कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाय तथा आवश्यकतानुसार आवंटन दिया जाय।

7. परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित वित्तीय नियमों तथा सरकारी आदेशों के अनुपालन की व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता।

7.1 बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली तथा बिहार ट्रेजरी हस्तक में किये गये प्रावधानों को तथा उन्हें और अधिक स्पष्ट करने, उनके अनुपालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार संशोधन करने के उद्देश्य से समय-समय पर राज्यादेश के द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन दृढ़ता से किया जाना चाहिये। इसके लिये कार्यपालक अभियंता और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों के अलावे संबंधित मुख्य अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता भी उत्तरदायी होंगे।

7.2 प्रावैधिकी स्वीकृति में विलम्ब नहीं किया जाय और बिना इसके यथासाध्य कोई निर्माण कार्य प्राधिकृत नहीं किया जाय। लेटर ऑफ क्रेडिट निर्गत करते समय इस पर पूरा ध्यान रखा जाय। बिना प्रावैधिक स्वीकृति के आवंटन देकर कार्य कराने के लिए मुख्य रूप से आवंटन देने वाले पदाधिकारी को दोषी समझा जाय तथा बिना प्रावैधिकी स्वीकृति और बिना स्पष्ट रूप से आवंटन प्राप्त किये कार्य कराने के लिये कार्य कराने वाले पदाधिकारी को दोषी ठहराया जायेगा।

7.3 वृहत परियोजनाओं, जिनका निर्माण एक से अधिक प्रमण्डलों और अंचलों के अधीन कराया जाता है और सामान्यतः वे एक ही प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन के तहत कार्य कराते हैं, में प्रावैधिक स्वीकृति की प्रक्रिया का अनुपालन सिंचाई विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या-9/एम॰-1-045/83 (खंड) 6, दिनांक-02 जनवरी, 1985 (प्रति परिशिष्ट-2 पर) के अनुसार निष्ठा और कठोरता के साथ किया जाय ताकि खर्च पर नजर और नियंत्रण रखा जा सके।

7.4 मौजूदा नियमों/आदेशों के अनुसार एक वर्ष की अवधि में पूरा किये जाने वाले कार्यों के लिये 10 प्रतिशत और इसमें अधिक की अवधि के लिये 15 प्रतिशत अधिक तक निविदा राशि का उचित ठहरायी जा रही है। कार्यान्वयन अवधि के अनुमान में सबजक्टिभिटी न्यूनतम करने तथा खर्च पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से निम्नांकित फार्मूला अपनाया जायः-

(क) अनुरक्षण और मरम्मति के सभी कार्य के लिए अधिकतम छः महीने की कार्यावधि होगी।

(ख) मूल कार्य जिसकी प्राक्कलित राशि 20.00 (बीस लाख) रु॰ तक की हो, (प्रशासनिक अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर) के लिये कार्यावधि एक साल तक ही होगी।

(ग) यदि ठीकेदारों द्वारा निवेदित राशि अनुमान्य बढ़ोतरी की सीमा के ऊपर हो, तो सरकारी आदेशों अनुसार उस कार्य को निर्माण नियमों के द्वारा कराया जाय और यदि किसी कारणवश वह भी संभव न हो उसे विभागीय तौर पर कराया जाय उपरोक्त 10 और 15 प्रतिशत की सीमा को उल्लंघन नहीं किया जाय।

7.5 निविदा निष्पादन की प्रक्रिया तभी की जाय जब उस कार्य की प्रावैधिक स्वीकृति मिल जाय, निधि आवंटन सुनिश्चित हो जाय और यदि उस कार्य में भू-अर्जन की आवश्यकता हो तो पहले करा ली जाय। इसके साथ आवश्यक यंत्र-संयंत्र निर्माण सामग्रियों और पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों की अग्रिम व्यवस्था की सुनिश्चित कर ली जाय।

7.6 सरकारी आदेशों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रीसेक्शन की माप, किये जा रहे और किये गये कार्यों की मापी तथा चेकिंग पूरी निष्ठा से क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा की जाय। इसमें पायी गई कमियों के लिये संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता तथा कनीय अभियन्ता मुख्य रूप से दोषी होंगे। अनधिकृत कार्यों की मापी दर्ज करने के लिये मापी दर्ज करने वाले पदाधिकारी दोषी होंगे और अनुशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ सिविल लायबिलिटी के लिये भी उत्तरदायी होंगे।

7.7 समय पर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने की जिम्मेवारी संबंधित अधीक्षण अभियन्ता और कार्यपालक अभियंता की होगी। विलम्ब में पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाय। संबंधित मुख्य अभियंता का भी यह उत्तरदायित्व होगा कि कार्य एवं कार्यालय निरीक्षण के समय इस पर नजर रखें और सरकार को समय पर आवश्यक सूचना दें।

7.8 जिस पैमाने पर विकास कार्य, विशेषता अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन में वृद्धि हुई है, उसके अनुपात में तकनीकी एवं वित्तीय अंकेक्षण की मौजूदा व्यवस्था काफी हद तक अपर्याप्त और प्रभावहीन है। सम्प्रति पोस्टमार्टम के अलावे बहुत कुछ नहीं हो पाता है। इसके निराकरण हेतु तकनीकी परीक्षण कोषांग में कम-से-कम दो मुख्य अभियंता, चार अधीक्षण अभियंताओं और आठ कार्यपालक अभियंताओं के अतिरिक्त पद सृजित किए जाएं ताकि कार्यों के निविदा

निष्पादन से लेकर समाप्ति तक प्रत्येक मुख्य कार्यों का तकनीकी अंकेक्षण समय पर कराया जा सके। प्रत्येक कार्य विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार को वित्तीय अंकेक्षण में गुणात्मक एवं सुख्यात्मक वृद्धि करने का अनुरोध किया जाय। तकनीकी और वित्तीय अंकेक्षण की पद्धति को और प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से यह समीचीन प्रतीत होता है कि उनके कार्यों में समन्वय हो। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया जाय।

7.9 विधि व्यवस्था में गिरावट के कारण निविदाओं के समुचित निष्पादन में कठिनाई तथा कार्य मदों की मात्रा एवं विशिष्ट पर उपर्युक्त नियंत्रण में हो रही बाधाओं को दूर करने में जिला प्रशासन से समुचित सहयोग लिया जाय एवं संबंधित कार्य विभाग द्वारा इसके लिये उचित आदेश निर्गत करने के लिये सरकार के समक्ष उचित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

7.10 योजना मद से गैर-योजना मद में धन-राशि का हस्तान्तरण किसी भी हालत में नहीं किया जाय।

7.11 निर्माणाधीन परियोजना के लिए उपबंधित धनराशि में से कटौती कर नई परियोजना के लिए आवंटन का उपबन्ध नहीं किया जाय।

8. लागत व्यय पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्तमान नियमों/प्रचलनों में सुधार/संशोधन-

8.1 निर्माण विभाग संबंधी संहिताओं एवं वित्तीय नियमावली का संशोधन कार्य एक समिति को सौंपा गया है जिसका प्रतिवेदन सम्प्रति राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस बीच परियोजनाओं की लागत व्यय पर नियंत्रण में सहुलियत के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

8.1.1 प्राक्कलनों के पुनरीक्षण संबंधी आदेशों को संशोधित करते हुए एक साल के अन्दर अथवा 5.00 लाख रूपये तक की प्रशासनिक स्वीकृत प्राक्कलन (यदि वह चालू अनुसूचित दर पर किया गया हो) के ऊपर अधिक-से-अधिक 5 प्रतिशत तक का ही व्यय करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा। निविदा निस्तार में भी यहां अधिसीमा लागू होगी।

8.1.2 मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य के प्राक्कलन जो चालू अनुसूचित दर के आधार पर बनाये गये हों, उनके ऊपर किसी प्रकार की बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी। किसी स्तर के भी पदाधिकारी प्राक्कलित राशि से अधिक खर्च करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। ऐसे कार्यो के कार्य-मदों की मात्रा में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी। निविदा निस्तार में भी बढ़ोतरी अनुमान्य नहीं होगी।

8.1.3 पांच लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की प्राक्कलित राशि की परियोजनाएं (प्रशासनिक अनुमोदन के आधार पर) जिन्हें एक वर्ष में पूरा किया जा सकता है, में अधिकतम 10 प्रतिशत वृद्धि अनुमान्य है। बशर्ते कि इसमें माल वृद्धि एवं अन्य वे समीकरण जिनसे बढ़ोतरी हुई हो का समावेश कर लिया गया होगा पर निविदा निस्तार में 5.0 प्रतिशत की अधिसीमा लागू होगी।

8.1.4 बीस लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं, जिन्हें दो वर्ष में पूरा की जा सकती है, का पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन तभी आवश्यक होगा जब उनकी प्राक्कलित राशि पर 15 प्रतिशत से अधिक के खर्च की संभावना हो। सामान्यतः 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि अमान्य होनी चाहिए, पर निविदा निस्तार में 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा अनुमान्य होगी।

8.1.5 एक करोड़ (1.00) रुपये की लागत से ऊपर की परियोजनाएं जिन्हें तीन वर्ष में पूरी कर ली जाती है, के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति की आवश्यकता तभी होगी जब उस पर 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना हो। सामान्यतः ऐसे परियोजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन पूरे 20 प्रतिशत से वृद्धि की बढ़ोतरी अमान्य होगी। परन्तु चालू अनुसूचित दर पर आधारित बी०ओ०क्यू० की राशि से वृद्धि 10 प्रतिशत की अधिक दर ही अनुमान्य होगा।

8.1.6 सिंचाई की वृहत् परियोजनाएं तथा अन्य कार्य विभाग की ऐसी परियोजनाएं जिनके कार्यान्वयन में तकनीकी कारणों से तीन वर्ष से अधिक की अवधि निर्धारित हुई है, उनके प्राक्कलन में मुद्रास्फीति एवं अन्य कारणों से होने वाले प्राईस एस्केलेशन का उपबन्ध किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाओं पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि का उपबन्ध किया जाय-

8.1.7 मौजूदा डेलिगेशन ऑफ पार्ट्स में निम्नांकित संशोधन किये जायँ-

(क) सिंचाई विभाग द्वारा 1978 में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता को प्राक्कलित राशि 20 प्रतिशत अधिक की निविदा स्वीकृत करने की जो शक्ति प्रदत्त को गई उसको संशोधित कर उसे मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक-19521, दिनांक-30 अक्टूबर, 1977 के अनुरूप किया जाता है साथ ही साथ एक वर्ष से अधिक की निर्माणावधि मात्र ऐसे कार्यों के लिए लागू होगी जिनकी प्राक्कलित राशि 20.00 लाख रुपये से अधिक हो।

(ख) मौजूदा आदेश जिसके तहत एक वर्ष तथा एक वर्ष से अधिक की कार्यावधि के लिये निविदा स्वीकृति हेतु 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कर दिया जाय, क्योंकि बी॰ओ॰क्यू॰ चालू अनुसूचित दर के आधार पर तैयार किया जाता है और अनुसूचित दर प्रतिवर्ष अद्यतन कर लिया जाता है। निविदा निष्पादन की यह अधिसीमा पर भी विभागों तथा सभी आकार के कार्यो पर लागू किया जाय।

(ग) सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंताओं को अनुसूचित दर से उपर किसी भी हद तक दर स्वीकृत करने की प्रदत्त शक्ति का विलोपित किया जाता है।

(घ) सिंचाई विभाग में पीस वर्क एग्रीमेन्ट करने के लिये अभियंताओं को जो शक्ति प्रदत्त है उसे विलोपित किया जाता है और बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 165 एवं 166 में दिये गये नियम का अनुपालन कराया जाय।

(ङ) सिंचाई विभाग के सहायक अभियंताओं को बिना निविदा आमंत्रित किये हुए बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु 2000 (दो हजार) रुपये के कार्य कराने की शक्ति दी गयी है। इस शक्ति का उपयोग कर किये जाने वाले खर्च की सीमा 10000 (दस हजार) रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की जाय।

(च) सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता को एक करोड़ रुपये, अधीक्षण अभियंता को 20.00 लाख रुपये कार्यपालक अभियन्ता को एक लाख तथा सहायक अभियन्ता को 10.00 हजार रुपये तक की निविदा अनुमोदित करने की शक्ति प्रदत्त है। मौजूदा स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति सभी कार्य विभागों में लागू की जाय।

(छ) कार्यो को पूरा करने के लिये एकरारनामें में अनुबंधित समय-सीमा को विस्तार करने की पूर्ण शक्ति संबंधित मुख्य अभियंता को दी जाय बशर्ते कि एकरारनामें में पाईप एस्केलेशन का उपबंध न हो। जहां प्राइस एस्केलेशन का उपबन्ध न हो, वैसे मामलों का निष्पादन अभियंता प्रमुख के स्तर से होना चाहिए।

(ज) निर्माण निगमों, श्रमिक सहयोग समितियों, अनियोजित अभियन्ताओं आदि की कौन-कौन कार्य आवंटित किये जायेंगे, उसका निर्णय निविदा आमंत्रित करने के पूर्व ले लिया जाय। ऐसे आरक्षित कार्यो का या तो अनुसूचित दर पर उन्हें नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाय या सीमित निविदा मांगी जाय जिसमे उसी वर्ष की संस्था या व्यक्ति निविदा दें।

सामान्यत: एक लाख रूपये से अधिक का कोई कार्य अनियोजित अभियन्ता तथा श्रमिक सहयोग समिति के लिये आरक्षित न किया जाय।

(झ) जब कार्यो के लिये निविदा आमंत्रित किया जाय तो उसका निष्पादन सामान्य नियमों/आदेशों के अनुकूल किया जाय, जिससे न्यूनतम निविदाकार को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल सके।

9. लघु उद्योग इकाईयों को दिये जा रहे प्राइस प्रोटेक्शन पर पुनर्विचार-

9.1 मौजूदा नियमों के तहत लघु उद्योग इकाईयों को अन्य निविदाकारों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक की राशि अनुमान्य है। इसका दुरूपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है जिससे न केवल परियोजनाओं के खर्च में वृद्धि हो रही है, बल्कि कार्य की विशिष्टि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे उद्यमों को जमानत की राशि जमा नहीं करने की भी छूट है। परियोजनाओं के लागत-व्यय पर नियंत्रण के उद्देश्य से सरकार ने भलीभांति विचार कर यह निर्णय लिया है कि अर्नेस्ट मनी की छूट दे रहे और अधिक-से-अधिक कार्य देने की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय, पर न्यूनतम निविदाकार की प्राक्कलित राशि से 15 प्रतिशत अधिक की दर बिना किसी विशेष कारण के स्वीकृत नहीं किया जाय।

10. निर्माण निगमों द्वारा कार्य कराने की व्यवस्था-

10.1 सिंचाई विभाग द्वारा बिहार राज्य निर्माण निगम की प्राक्कलित राशि पर 25 प्रतिशत की दर से स्वीकृत करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है यद्यपि कि उसी कार्य के लिये आमंत्रित निविदा प्राक्कलित राशि से 15 प्रतिशत से कम तक प्राप्त की गई हो। इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव परियोजनाओं के खर्च पर पड़ता है यदि किसी कार्य के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है, तो वैसे निविदाकार की राशि प्राक्कलित राशि के बराबर या उससे कम आती है तो वैसे मामलों में न्यूनतम निविदाकार को ही कार्य आवंटित किया जाना चाहिये। वैसे सिंचाई विभाग, निर्माण निगम को बिना निविदा आमंत्रित किये प्राक्कलित राशि या उससे 5 प्रतिशत अधिक लागत पर कार्य आवंटित कर सकता है, यदि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक समझा जाता हो। छोटे-छोटे एवं मध्यम कोटि के कार्यों में निर्माण निगम को तब तक काम नहीं दिया जाना चाहिये जब तक यह नहीं पता चले कि निजी ठीकेदार अनुमान्य राशि से अधिक दर की मांग पर अड़े हुए हों।

11. राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण की प्रक्रिया में संशोधन-

11.1 परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति किसी भी राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना के खर्च में बढ़ोतरी तथा निर्माण कार्य में विलम्ब का सही-सही एवं समेकित रूप से मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी समेकित परियोजना संबंधित प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलन राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। छिटपुट ढंग से और खंड-खंड कर एक-एक जॉब की अलग-अलग प्रावैधिक स्वीकृति तथा एस्केपेन्डिचर सेक्शन दिया जाता है और उस क्रम में शायद ही किसी परियोजना का कार्यान्वयन एक दशक में पूरा किया गया हो। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार को कार्यक्रम निर्धारित करने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभानी पड़ती है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति एवं कार्यक्रम के निर्धारण में राज्य सरकार को सहयोगी बनाया जाय और परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करने की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय।

12. मूल एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के लिये चेक-लिस्ट का अनिवार्य होना-

12.1 मूल परियोजना प्राक्कलन को राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ तभी प्रस्तुत किया जाय जब अभियन्ता प्रमुख और विभागीय सचिव जांच-परख कर सरकार को आश्वस्त करें कि परियोजना का आयोजन तथा प्राक्कलन निर्धारित पद्धति तथा स्तर का है। इसी उद्देश्य से एक चेक लिस्ट और प्रोफोर्मा तैयार कर परिशिष्ट-3 में रखा गया है। मंत्रिमंडल के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ जब भी संलेख भेजे जाये तब उसके लाभ चेक-लिस्ट भरकर संलग्न किया जाय। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी विभागीय सचिव की होगी।

पुनरीक्षित प्राक्कलन जब मंत्रिमंडल के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाय तो संलेख में विस्तृत रूप से उन कारणों को बताया जाय जिसके चलते प्राक्कलित राशि में बढ़ोतरी हुई है या होने का अनुमान है। संलेख के साथ परिशिष्ट 4 में रखे गये चेक लिस्ट अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय। इसके अनुपालन की जिम्मेदारी विभागीय सचिव की होगी।

13. आदेश-

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट (राजपत्र) के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी एक हजार प्रतियां मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी निगमों/पर्षदों एवं बोर्डों के बीच परिचालित करने हेतु भेजी जाय।

अनु०-यथोपरि।

(चार परिशिष्ट)

ह०/-
(भास्कर बनर्जी)
सरकार के सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग,
बिहार, पटना।

●●●